प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.01.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में मृत्यु कारित करने के मामले में 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकडी के डण्डे (आलाकत्ल 01 अदद लकडी का डण्डा) को किया गया बरामद।**
- **थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 13/14.01.2025 की रात्रि में हुई घटना में पंजीकृत अभियोग में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 13/14.01.2025 की रात्रि में थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत स्थित अन्नपूर्णा ढ़ाबा पर हुई मृत्यु के मामले में वादी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र अशर्फी लाल निवासी निवासी आलमपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना सिकन्दरा पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 105 बीएनएस बनाम 01 नफर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 19.01.2025 को अभियुक्त ज्ञानी उर्फ ज्ञान पुत्र शिवराम निवासी मुजफ्फरपुर की मडैया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 49 वर्ष को समय करीब 08.30 बजे सूर्या ओवर ब्रिज के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त की निशां देही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लकडी का डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

1. ज्ञानी उर्फ ज्ञान पुत्र शिवराम निवासी मुजफ्फरपुर की मडैया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मै अन्नपूर्णा ढाबा पर करीब 02 माह से खाना बनाने का काम करता हूँ दिनांक 13/14.01.2025 की रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति होटल पर आया जिसका व्यवहार ठीक नहीं था मुझसे उसने खाना मांगा तो मैंने उसे खाना दे दिया। वह खाना खा कर मेरी चारपाई पर जाकर लेट गया जब मैं होटल के काम से फुरसत होकर अपनी चारपाई पर गया और उसे हटने के लिये कहा तो वह नहीं हटा तो उससे मेरी कहासुनी हो गयी। मैं उस दिन थोडा शराब के नशे में था तो गुस्से में, मैंने चारपाई के बगल में पड़े लकडी के डण्डे को उठाकर मारा तो डण्डा उसके शरीर में न लगकर सिर में लग गया जिससे उसके खून निकलने लगा था। जब मैंने खून देखा तो मैंने होटल मालिक से उसके इलाज हेतु कहा इस पर होटल मालिक ने डायल 112 व एंबुलेंस दोनों को सूचना दे दी थी। तो मैं डर के मारे भाग गया था। मेरा कोई उद्देश्य उसे मारने का नहीं था। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त डण्डा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि साहब वह डण्डा मैंने होटल के पीछे एक गड्ढे के पास फेंक दिया था। तत्पश्चात अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लकडी का डण्डा बरामद किया गया।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद घटना मे प्रयुक्त लकडी का डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चरण सिंह थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ।
2. हे0का0 92 सुरेन्द्र सिंह थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ।
3. का0 173 अश्वनी कुमार थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।